



MOSJE – 0036916GOI

NITI AAYOG –0430098GOI

**Social Justice And Women Empowerment Commission
(Section-SJWEC)**


Telephone No:91+01171557824

Email: info@socialjusticecommission.com

Ref. no. – SJC-0072/IND/20-25

New Delhi-110001

Commission Benefit

 सरकारी अधीन आयोग से जुड़ने पर मिलने वाले लाभ

(Benefits of Joining a Government-Affiliated Commission) **सामाजिक न्याय और महिला अधिकारिता आयोग**

१. पद और पहचान (Official Post & Identity)

- सरकार से मान्यता प्राप्त पद मिलता है – जैसे:
- राष्ट्रीय स्तर: राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, निदेशक, महासचिव
- राज्य स्तर: राज्य अध्यक्ष, सचिव, पर्यवेक्षक
- जिला स्तर: जिला संयोजक, ब्लॉक प्रभारी, निरीक्षक

२. आयोग की ओर से असली पहचान पत्र (Social Justice ID Card) जारी किया जाता है।

- आप आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में शासन, प्रशासन व मीडिया में मान्यता प्राप्त होते हैं।
- आपके नाम से कार्यक्रम, सेमिनार, शिविर आदि आयोजित किए जा सकते हैं।
- सरकार/प्रशासन के साथ आपके पत्राचार में आयोग की मुद्रित सील/लेटरहेड मान्य होती है।

३. दस्तावेज व प्रमाण पत्र (Official Documentation)

- आपको नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) आयोग की मोहर और हस्ताक्षर सहित दिया जाता है।
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (Training Certificate) – आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षणों में भाग लेने पर दिया जाता है।
- अनुशंसा पत्र (Recommendation Letter) – सरकारी व गैर-सरकारी परियोजनाओं में मान्य।
- कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (Experience Certificate) – अधिक्ष्य के करियर व अवसरों में उपयोगी।

॥ ४. भत्ते और सहूलियतें (Allowances & Facilities)

- आयोग की बैठकों/प्रशिक्षणों में भाग लेने पर यात्रा भत्ता (TA) मिलता है।
- जिला/राज्य स्तर पर कार्य करने वाले प्रतिनिधियों को मानदेय (Honorarium) मिल सकता है।
- सरकारी संस्थाओं व कार्यालयों में कार्य सुविधा हेतु पहचान और प्रवेश (Access)
- अधिकृत दस्तावेजों, शिकायतों या जन अभियानों पर प्रशासनिक सहयोग व संरक्षण प्राप्त होता है।

॥ ५. कार्यक्षेत्र और अधिकार (Field Authority & Functional Rights)

- आयोग के माध्यम से आप जनता की शिकायतें संबंधित विभागों तक पहुँचा सकते हैं।
- महिला सुरक्षा, बाल अधिकार, दलित-सर्वण भेदभाव, शिक्षा, स्वच्छता, आदि विषयों पर जन जागरूकता अभियान चला सकते हैं।
- आयोग की योजनाओं और नीति-निर्देशों का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन कर सकते हैं।
- प्रशासनिक बैठकों (DM, SP, SDM स्तर) में आमंत्रित प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी संभव होती है।

॥ ६ . सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान (Social Status & Recognition)

- समाज में आपकी पहचान एक सरकारी अधीन समाजसेवी प्रतिनिधि के रूप में होती है।
- मीडिया, समाचार पत्र, सरकारी बैठकें व शासकीय आयोजन में प्रतिनिधित्व व कवरेज मिलता है।
- सरकारी योजनाओं से अधिक लोगों को जोड़कर लोकप्रियता व सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है।

- आयोग के माध्यम से आप जनसरोकारों में सीधे भाग लेकर सामाजिक नेतृत्वकर्ता (Social Leader) बन सकते हैं।

७. करियर और नेतृत्व विकास (Career & Leadership Development)

- आयोग द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण सेमिनार, RTI कार्यशाला, POSH Awareness, लीगल कैम्प आयोजित किए जाते हैं।
- उच्च प्रदर्शन पर आपको राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक पदोन्नति (Promotion) दी जा सकती है।
- अनुभव व कार्य के आधार पर भविष्य में सरकारी नियुक्तियों/सम्मानों में भी प्राथमिकता मिल सकती है।
- आयोग का कार्यकाल और अनुभव निजी व सरकारी संस्थानों के सामने प्रोफाइल को मजबूत बनाता है।

८. संपर्क और संसाधन सहयोग (Support & Resources)

- आयोग द्वारा टोल-फ्री WhatsApp हेल्पलाइन, ईमेल, और पोर्टल से आपको तकनीकी सहायता मिलती है।
- आयोग से जुड़े सदस्य ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, कार्यक्रम रजिस्ट्रेशन और स्टेटस ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं।
- जरूरत पड़ने पर आयोग द्वारा आपको अनुशंसा, पत्राचार या लीगल सपोर्ट भी प्रदान किया जाता है।

चौधरी इरफान (राष्ट्रीय अध्यक्ष)
सामाजिक न्याय और महिला अधिकारिता आयोग